फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
किशोर सिंह वगै०	बनाम	कल्याण सिंह वगै०

किस्म प्रकरण : राजस्व ~~वाद~~ प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं.– 28 / 2017 पत्र

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
10-03-2017	यह ~~वाद~~ प्रार्थना पत्र वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणो के विरूद्ध अधीन धारा ~~53,88~~ 128 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। ~~वाद~~ प्रार्थना पत्र वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10-4-2017 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/4/17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता प्रति० क्र० 1 से 03 श्री ओ.के. शिवकुमार एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 8-5-17 को प्रस्तुत करें। e	
8-9-17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 07-02-18 को प्रस्तुत करें। e	
7.2.18	पक्षकारान उप० प्रतिवादी से 01 से 03 के जवाब व प्रतिवादी से 06 के जवाब तथा प्रतिवादी से 04 की AD इस नोट के साथ प्राप्त हुई है कि मोहनराम धाबीपुरा में नहीं रहती है पता अपूर्ण है। वकील वादी प्रतिवादी से 04 के सही पते से समन पेश करे। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी से 04 से 05 की तलबी व प्रतिवादी से 01 से 03 व 06 के जवाब हेतु दिनांक 07.3.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

7.3.18

पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

फर्द अहकाम

(नियम–26)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

किशोर सिंह वगै बनाम कल्याण सिंह वगै

केस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 28/2017

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिषिलस जज
30.05.2018	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट खाटु कलां में पेश हुई । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण किशोर सिंह वगै ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनकी खातेदारी की भूमि ख नं 424 रकबा 49.09 बीघा मौजा कचरास में आई हुई है। इसी खेत का बट्टा नंबर 2038/424 मौजा कचरास अप्रार्थी कल्याणसिंह के खातेदारी का है। यह दोनो खेत एक ही खेत के बट्टा नम्बर है जो भाई बंटे में अलग हुए है लेकिन इनके बीच नाप चोप करके सीमा निर्धारण नहीं हुआ है इसलिऐ इनका नाप करके इनके बीच स्थाई सीमा सीपित करने का निवेदन किया इसी प्रकार इस खेत के दक्षिणी तरफ चिपता ख नं 426 रकबा 53.04 बीघा है जो प्रतापसिंह व गणपतसिंह का है, मोहन कंवर व प्रेम कंवर का नाम खैतोनी में दर्ज है लेकिन उन्होने अपना हिस्सा प्रताप सिंह को बेच दिया है इसलिए उनके विरूद्व प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते। अतः मुल खसरा नं 424 व 426 जिसके अब बटटा नम्बर पड़ गए है के मुल खसरों के बीच की सीमा का नाप करके सही सीपित करने का निवेदन किया। अप्रार्थीण कल्याण सिंह , प्रताप सिंह , गणपत सिंह की ओर से करीब 1 साल पूर्व वकालतनामा पेश हुआ है लेकिन जबाब पेश नहीं हआ है । इसलिए जबाबदेही बंद की गई । तहसीलदार जायल को नाप करके पत्थरगढ़ी करने में कोई आपति नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया । खातेदारान् खेतो का नाप करवाकर सीमा चिन्ह स्थापित करवाना चाहते है । ऐसी स्थिति में किसी पक्षकार को आपति नहीं होने चाहिए। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि मौजा कचरास के ख नं 424 तथा ख नं 2038/424 का नाप करके इनके बीच तथा ख नं 424 तथा मुल खसरा नं 426 के बीच की सीमा का भी सही नाप करके पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में अविलम्ब पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जायल (जिला नागौर)

Scanned by CamScanner